



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 44 of 2024

Sub.: Addition of subject in the duty list of ED/Planning.

In partial modification of Board's Office Order No. 80 of 2022, it has been decided to add a subject in the duty list of ED/Planning as under:

All Activities pertaining to 'National Household Travel Survey'.

2. The new subject would figure as item number XV in the duty list of ED/Planning. Revised duty list of ED/Planning is enclosed as **Annexure-I**.
3. The above issues with the approval of the competent Authority.

No.2024/O&M/7/19
Dated: 23.07.2024


(T.Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

ED/Planning, ED/SPI

Copy to:-

EDPG/MR, JDPG/MoSR(S), Sectt. of MoSR(R)

Room No.229, 2nd Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

Annexure-I

Duty list of ED/Planning in Board's Office

- i. Integrated and Long-term Planning and coordination with different directorates.
- ii. Planning of projects/works under Plan Heads – 11, 14, 15, 16, 33, 35 and other plan heads.
- iii. Vision 2047, Vision 2030 etc.
- iv. Long term Capacity Enhancement Programmes.
- v. National Rail Plan (NRP), Preparation of Annual Plans, Corporate Plans and Coordination with Niti Aayog and Cabinet Secretariat etc.
- vi. Reporting and progress monitoring of thematic projects (coal evacuation, port connectivity etc.)
- vii. Reporting and monitoring of projects progress
- viii. Prioritization of sanctioned and planned projects
- ix. Allocation of additional funds to near completion or important/urgent works.
- x. Review of Rolling Stock Requirements.
- xi. Financing coordination with DEA and other ministries for financing through multilateral/bilateral agencies such as World Bank, ADB, NDB, AIIB, like SASEC etc.
- xii. Coordination with NITI Aayog for Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, SGOS, OOMF (Output Outcome Monitoring Framework) etc.
- xiii. Coordination for updation of e-Samiksha (Cab Sectt.)
- xiv. PM Sectoral Review with NITI Aayog, Quarterly reporting etc.
- xv. **All Activities pertaining to 'National Household Travel Survey'.
(vide O.O. No. 44 of 2024)**

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 44

विषय: कार्यपालक निदेशक/योजना की इयूटी लिस्ट में विषय का समावेशन।

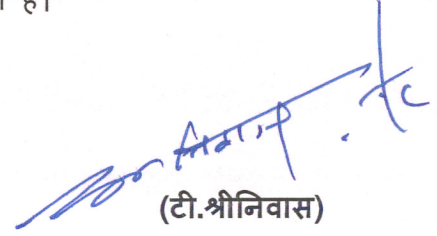
बोर्ड के 2022 के कार्यालय आदेश सं. 80 में आंशिक संशोधन करते हुए, कार्यपालक निदेशक/योजना की इयूटी लिस्ट में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का विनिश्चय किया गया है:

‘राष्ट्रीय पारिवारिक यात्रा सर्वेक्षण (नेशनल हाउसहोल्ड ट्रेवल सर्वे)’ से संबंधित सभी कार्यकलाप।

2. कार्यपालक निदेशक/योजना की इयूटी लिस्ट में इस नए विषय की मद सं. XV होगी। कार्यपालक निदेशक/योजना की संशोधित इयूटी लिस्ट **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं.2024/ओएंडएम/7/19

दिनांक : 23.07.2024



(टी.श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल: t.srinivas1@gov.in

दूरभाष: 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

कार्यपालक निदेशक/योजना, कार्यपालक निदेशक/एसपीआई

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री (आर) का सचिवालय

बोर्ड कार्यालय में कार्यपालक निदेशक/योजना की इयूटी लिस्ट

- i) एकीकृत और दीर्घावधिक योजनाएं तैयार करना और विभिन्न निदेशालयों के साथ समन्वय करना।
- ii) योजना शीर्ष-11, 14, 15, 16, 33, 35 और अन्य योजना शीर्षों के तहत परियोजनाओं/कार्यों की योजना तैयार करना।
- iii) विज़न 2047, विज़न 2030 आदि।
- iv) दीर्घावधिक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम।
- v) राष्ट्रीय रेल योजना, वार्षिक योजनाएँ तैयार करना, कॉर्पोरेट योजनाएँ और नीति आयोग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय आदि के साथ समन्वय।
- vi) थीम आधारित परियोजनाओं (कोयले की निकासी, पतन संपर्क आदि) की रिपोर्टिंग एवं प्रगति संबंधी निगरानी।
- vii) परियोजनाओं की प्रगति से संबंधित रिपोर्टिंग और निगरानी।
- viii) स्वीकृत और योजनाबद्ध परियोजनाओं को प्राथमिकता देना।
- ix) शीघ्र पूरे होने वाले अथवा महत्वपूर्ण/अत्यावश्यक कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि आवंटित करना।
- x) चल स्टॉक आवश्यकताओं की समीक्षा करना।
- xi) वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी, एआईआईबी एसएसईसी आदि जैसी बहुविषयक/द्विपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से वित्तपोषण के लिए डीईए और अन्य मंत्रालयों से वित्तीय समन्वय।
- xii) राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, एसजीओएस, ओओएमएफ (आउटपुट आउटकम मानीटरिंग फ्रेमवर्क) आदि के लिए नीति आयोग के साथ समन्वय।
- xiii) ई-समीक्षा (मंत्रिमंडल सचिवालय) के अद्यतन के लिए समन्वय।
- xiv) नीति आयोग के साथ पी.एम. सेक्टरल समीक्षा, तिमाही रिपोर्टिंग आदि।
- xv) राष्ट्रीय पारिवारिक यात्रा सर्वेक्षण (नेशनल हाउसहोल्ड ट्रैवल सर्वे) से संबंधित सभी कार्यकलाप। (2024 के कार्यालय आदेश सं. 44 के तहत)